# जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

# मण्डल क्षेत्र में वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर
करोंदा नाला डेरी संयंत्र जबलपुर
E mail :- Jabalpur.sanchi@gmail.com Ph- 9406900500

# साँची दुग्ध वितरक कार्य हेतु आवेदन फार्म

## जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लांट, जबलपुर – 482004
दूरभाष – 9406900500
**E- mail : jds.sanchi@gmail.com**

प्रपत्रः–1

## // आवेदनकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

आवेदनकर्ता
अपना पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकाए/स्केन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
करौंदा नाला जबलपुर (म0प्र0)

महोदय,

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मंडला शहर में दुग्ध एवं दूध पदार्थ विक्रय कार्य किये जाने के संबंध में वितरक कार्य करने हेतु प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति सूचना को पढ़कर हमने / मैंने यह आवेदन प्रपत्र विपणन कार्यालय से प्राप्त किया है। मैं यह आवेदन फार्म मंडला शहर के लिए भर रहा हूॅ तथा आवेदन प्रपत्र के साथ रू 500/– की डीडी. क्र. ................................ दिनांक ................. जो कि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर के नाम से देय होगा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने/मैंने अभिरूचि की अभिव्यक्ति सूचना के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों, आवेदन प्रपत्रों में वर्णित विवरण को भली भांति पढ़कर समझ लिया हैं तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूॅ तथा बाध्य हूॅ ।

**इस संदर्भ में हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–**

01. आवेदनकर्ता का नाम व पता ..............................................................
02. दूरभाष क्रमांक कार्यालय/इंडस्ट्री एवं मोबाईल नंबर ..............................................................
03. आवेदनकर्ता का ई–मेल पता एवं फैक्स नंबर एस.टी. डी.कोड सहित ..............................................................
04. आवेदनकर्ता की संस्था का स्वरूप (फर्म/ कंपनी/ प्रो.स्वामित्व/ हिंदु अविभाजित परिवार आदि ) ..............................................................

05. प्रोपराइटर/भागीदार/मु.कार्य.पालन अधिकारी का नाम व पता संपर्क दूरभाष–मोबाईल नंबर सहित ...............................................................

06. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते ...............................................................

07. कंपनी की स्थिति में कंपनी का पंजीयन क्र0 तथा दिनांक....... ...............................................................

08. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ...............................................................

09. आवेदनकर्ता का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर का विवरण ...............................................................

10. एफ.एस.एस.आई. नं की प्रति संलग्न करें। ...............................................

1. उपरोक्त दस्तावेज तथा इसमें निर्धारित शर्तों के तहत् दुग्ध संघ द्वारा हमें/मुझे वितरक का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रतिभूति राशि और वांछित कागजात प्रस्तुत कर निर्धारित अवधि में अनुबंध करने के लिए सहमत हैं/हूं ।
2. हम/मैं उपरोक्तानुसार घोषित करते हैं/करता हूं कि आवेदन प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

दिनांक..................

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर........................
नाम..................................................................
प्रो./कंपनी/फर्म का नाम..........................
पूरा पता.........................................................
.......................................................................
हैसियत.............................................................
मुहर/सील.....................................................

**नोट – इस परिशिष्ट में सभी अपेक्षित विवरण स्पष्ट रुप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी स्थिति अनुसार स्पष्ट कर अंकित करें। अपेक्षित विवरण के अभाव में आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।**

**प्रपत्र–02**

## साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु आवश्यक शर्ते :–

**1.** आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

**2.** आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र एमपीसीडीएफ की वेब साइट से डाउनलोड कर एवं इस आवेदन प्रपत्र को भरकर **रू 500/–** की डीडी. के साथ जो कि पेयबल एट "**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.जबलपुर** " के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य है। बिना डीडी के आवेदन प्रपत्र अमान्य होगा।

**3.** आवेदनकर्ता को न्यूनतम 500 लीटर दुग्ध विक्रय प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी समीक्षा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रति माह की जावेगी। निर्धारित लक्ष्य अनुसार लक्ष्य प्राप्त न करने की दशा में वितरक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अनुशंसा पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को होगा।

**4.** आवेदनकर्ता का चयन होने के उपरांत जबलपुर दुग्ध संघ में प्रतिभूति राशि रू 100000/– (रूपये एक लाख मात्र) डी.डी द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ में जमा करना होगी। जो कि पेयबल एट जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के नाम से होगा।

**5.** मंडला शहर  हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जावेंगी । जो कि आवेदनकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

**6.** आवेदनकर्ता के पास चयन होने के उपरांत आवेदित स्थल पर स्वयं की दुकान अथवा कार्यालय होना अनिवार्य है। दुकान अथवा कार्यालय किराये से लिये जाने की दशा में किरायानामा/मुखतारनामा समय पर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

**7.** वितरक को दुग्ध की मांग प्रतिदिन समय पर ई–मेल के द्वारा दिया जाना होगा एवं प्रदाय किये गये दूध के विरूद्ध राशि प्रतिदिन आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करनी होगी तथा साथ ही आवेदनकर्ता कों धनादेश दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

**8.** आवेदनकर्ता को स्थानीय बाजार में मांगानुसार अपने स्वयं के वाहन से विक्रेताओं को दुग्ध वितरण समय पर करना अनिवार्य होगा।

**9.** आवेदनकर्ता को रू 1000/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

**10.** आवेदनकर्ता वितरण स्थल पर संबंधित परिवहनकर्ता से दूध के पैकेटस् छाट कर लेगा दुग्ध वितरण होने के उपरांत किसी भी प्रकार से दुग्ध के पैकेटस् कम/लीकेज होने की दशा में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदनकर्ता की होगी।

**11.** आवेदनकर्ता का चयन दो वर्षो हेतु किया जावेंगा। वितरक कार्य दो वर्ष की अवधी सफलता पूर्वक समाप्त होने के उपरांत वितरक कार्य हेतु अवधी बढाये जाने का निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कर्यापालन अधिकारी महोदय को होगा।

**12. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ रूपये 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदनकर्ता का जबलपुर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही है तथा आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/जबलपुर दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित**

**कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसा होने पर आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ के विरूद्ध किसी भी मा.न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार नही होगा।**

**13.** दुग्ध वितरक विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवाएगा।

**14.** किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

**15.** प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

**16.** आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की सुरक्षा निधी राशि राजसात कर आवेदनकर्ता को काली सूची में डालने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

**17.** आवेदनकर्ता के पास एफ.एस.एस.आई. क्रमांक/जीएसटी नं. होना अनिवार्य होगा अथवा वितरक नियुक्ति के उपरांत 15 दिवस के अंदर एफ.एस.एस.आई क्रमांक की प्रति/जीएसटी नं. की प्रति आवेदनकर्ता दुग्ध संघ में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

**18.** वितरक कार्य हेतु शेष नियम एवं शर्ते दुग्ध संघ की वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेगी। जिसकी जानकारी आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र जमा करते समय विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

**19.** ऐसे आवेदक जिन्हे दुग्ध विक्रय में एक वर्ष का अनुभव है वे स्वः प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

**20.** वर्तमान में कार्यरत वितरक को आवेदन पत्र भरते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि वे प्रदाय किये गये दूध एवं दूध पदार्थों के विरूद्ध भुगतान राशि जबलपुर दुग्ध संघ में पूर्णतया जमा करें। वितरक कार्य हेतु नियमानुसार चयन होने के उपरांत किसी भी प्रकार से बकाया राशि एवं केन/क्रेट लंबित होने की दशा में आवेदनकर्ता का वितरक कार्य निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी जबावदेही आवेदनकर्ता की स्वयं की होगी।

**मेरे द्वारा साँची दूध वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र में समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 20 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ व मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।**

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता